2947 2958

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 03AA 010174

"केवाला दलिल"

केवालादाता:– मो0 सागीर पिता–मृत मो0 महताब, जाति–शेख पेशा–व्यवसाय निवास स्थान–मुस्लिम मोहल्ला, बास मेडिकल के पास, पो0 वो थाना–चास, जिला–बोकारो, झारखंड। (सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 (1) बी के दायरे से बाहर है।) आधार संख्या–9572 9226 0912

केवाला ग्रहिता:– श्रीमती माला कुमारी पत्नि–श्री अजीत कुमार दास, जाति–मोची पेशा–गृहणी निवास स्थान–लालपुर, पो0–कुमीरडोबा, थाना–चन्दनकियारी, जिला–बोकारो, झारखंड। (भारतीय)। आधार संख्या–2435 5862 9212

लेख्यप्रकार:– बिक्रय पत्र दस्तावेज (Absolute Sale Deed)

बिक्रय केवाला दस्तावेज का मूल्य 3,52,000/– (तीन लाख बावन हजार) रूपये मात्र। मौजा *"चास"* के अन्दर रकवा 3.64 डि0 (तीन दशमलव छः चार डिसमिल) जमीन मात्र। सलाना मालगुजारी .05 पैसा, वर्तमान मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार अंचल कार्यालय चास।

जमीन किस्म:– आवासीय लायक खाली जमीन है, जो चास नगर निगम के वार्ड नं0 – 07 में अवस्थित है।

Md. Sagir
28/8/17

तफशील सम्पत्तिः– जिला बोकारो सब रजिस्ट्री ऑफिस बोकारो स्थान चास थाना चास के अन्तर्गत 30 नं0 थाना भुक्त मौजा *"चास"* के अन्दर सर्वे सेटलमेंट मांप के समय सर्वे खतियान शेख रमजान पिता शेख बहार अली के नाम से दर्ज है एवं विगत दिनांक 01/04/1927 को पुरूलिया रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री कृत 1572 नं0 दान पत्र दस्तावेज के द्वारा शेख रमजान अली पिता बहार अली के निकट से मेरे पितामह मृत अब्दुल सत्तार वगैरह के नाम से पैतृक एवं दान पत्र द्वारा प्राप्त रैयती स्वत्व की सम्पत्ति होता है। जिसका खाता नं0 **375 (तीन सौ पचहत्तर)** शामिल प्लॉट नं0 **3347 (तीन हजार तीन सौ सैतालीस)** एवं प्लॉट नं0 **3347/7832 (तीन हजार तीन सौ सैतालीस बट्टा सात हजार आठ सौ बत्तीस)**, कुल दो प्लॉट में नक्शा एवं चौहद्दी मुताबिक रकवा **3.64 डि0 (तीन दशमलव छः चार डिसमिल)** जमीन आज आपके हाथ केवाला बिक्री किया, एवं आज ही से दखल कब्जा दिया। जिसका चौहद्दीः–

उत्तर–रास्ता 15 फीट जिसमें लेख्यधारी के तरफ से छोड़ा गया 5 फीट
दक्षिण–प्लॉट नं0 3347 एवं 3347/7832 का बाकी अंश
पूरब–रास्ता 15 फीट जिसमें लेख्यधारी के तरफ से छोड़ा गया 5 फीट
पश्चिम–प्लॉट नं0 3360

इस दस्तावेज के साथ नत्थी किया हुआ नक्शा लाल रंग से रंगाकर "A/a" चिन्हित बिक्रीत जमीन दिखाया गया है।

दाताओं का वंशावली

- शेख रमजान अली
  - अब्दुल रज्जाक
  - मो0 हुसैन
  - अब्दुल गफुर
  - अब्दुल सत्तार
    - मो0 आफताब हुसैन
    - मो0 महताब
      - मो0 सागीर (दाता)
      - मो0 शाहजहाँ
      - मो0 सलीम
      - मो0 शमीम
    - मो0 इस्लाम

माला कुमारी

Md. [illegible]
28/8/17

चूँकि बिक्री केवाला दस्तावेज का विवरण है कि मेरे आवश्यक संसारिक खर्च तथा अन्य खर्च के वास्ते रूपये के विशेष आवश्यकता आ जाने पर तफशील प्रकाशित सम्पत्ति बिक्री करने का प्रस्ताव करने पर आप इसे खरीदने के लिए राजी हुए जो कि तफशील प्रकाशित सम्पत्ति कि समयोचित सर्वोच्च मूल्य **3,52,000/– (तीन लाख बावन हजार)** रूपये आपसे नगद पाकर उक्त तफशील प्रकाशित सम्पत्ति इस केवाला दस्तावेज के द्वारा आपके हाथ बिक्री करते हुए मेरा तथा मेरे उत्तराधिकारीगण सदा के लिये सम्पूर्ण रूप से निःस्वत्व होकर इसका सब कुछ हक अधिकार दखल कब्जा यानी पूरा–पूरा मिलकियत आपके हाथ हस्तांतरण कर दिया।

आप आज तारीख से बिक्रीत तफशील प्रकाशित सम्पत्ति का सालाना मालगुजारी 05 पैसा, वर्तमान मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार का प्रति वर्ष लागान वसुल देते हुए अपने नाम पर चेक दाखिला आदि लेकर उक्त तफशील प्रकाशित सम्पत्ति में आप अपने इच्छानुसार कच्चा पक्का मकान, बाग–बगीचा, कुँआ, पैखाना गृह इमारत आदि निर्माण कर अपने वसवास भाड़ा बिली, दान बिक्री हस्तांतरण आदि सर्व प्रकार के मालिक बन कर वंशानु क्रम पर परम सुख से विशेष प्रकार से भोग दखल करते रहेंगे इसमें मेरा या मेरे उत्तराधिकारीगण को कभी किसी को किसी प्रकार के दावी–दावा तथा उजर एतराज नही होगा, और न भविष्य में कर सकेगा अगर करें तो कानूनन वातिल एवं नाजायज समझा जायेगा।

प्रकाश रहे कि बिक्रीत तपशील प्रकाशित सम्पत्ति सम्पूर्ण रूप से निर्दाय तथा निर्विवाद अवस्था में है तथा इस पर किसी को किसी प्रकार का कच्चा पक्का एग्रीमेंट या बेनामी हस्तांतरण आदि या बैंक मोरगेज एवं किसी प्रकार का ऋण आदि नही है। फिर भी किसी प्रकार त्रूटि रहना प्रमाण आवे तो मेरा या मेरे उत्तराधिकारी पूरा–पूरा क्षति पूर्ती का दायी होगें। तफशील प्रकाशित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि या सरकारी अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है तथा बिक्रेता एवं क्रेता यह घोषणा करते है कि दस्तावेज में उनके द्वारा संलग्नित सभी तथ्य बिल्कुल सही है तथा जो कागजात का छाया प्रति संलग्न है बिल्कुल सही है; यदि किसी प्रकार का गलत साबित होता है तो सारी जिम्मेदारी पक्षगणों की होगी।

माला कुमारी

अतः मैं अपनी मन और शरीर की स्वस्थ्यता से मूल्य का कुल रूपये नगद ग्रहण कर यह बिक्रय केवाला दस्तावेज सम्पादन कर दिया। जो कि समय पर काम आवे तथा प्रमाण रहे। ईति अंग्रेजी सन 2017 ई० दिनांक 29 / 07 / 2017।

प्रारूपकर्ताः–(लेख्यकारी के कथानुसार):– **श्री सीताराम शर्मा**, मो0 चास, दस्तावेज लेखक, क्रम संख्या 35 सन् 1996–97 बोकारो उपायुक्त के द्वारा अनुमोदित।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र इस दस्तावेज में लगा है, के बाये हाथ के अंगूलियों के निशान मेरे सामने लिया गया है।

प्रारूपकर्ता का हस्ताक्षरः–

क्रेता का छायाचित्र हस्ताक्षर
व अंगूलियों के निशानः–

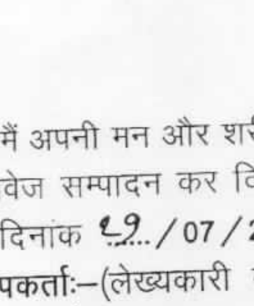

माला कुमारी
29/7/17
माला कुमारी

गवाहगण

MD. Shamim
मो० महताब
मुसलीम मुहल्ला (च121)
29/7/17